1

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 14/2020 दायरा दिनांक : 14.02.2020

उनवान

संजय हाडा आत्मज श्री ओम प्रकाश हाडा, आयु 37 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी महात्मा गॉधी कॉलोनी, हाल निवासी झमकू पैलेस, झालरापाटन रोड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– राजेश कुमार गौड आत्मज राधेश्याम गौड, आयु 47 वर्ष, जाति सिलावट, निवासी सिलावट मोहल्ला झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

2– शोभाराम गुर्जर आत्मज श्री मांगीलाल गुर्जर, आयु 30 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी पशुपतिनाथ मंदिर के पास, झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अभितोषाचार्य अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बच्चूलाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
लेखा
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

निर्णय

दिनांक : 20.10.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या–342/प्रार्थना पत्र/2019 निर्णय दिनांक 24.01.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 39 रूल 1 व 2 तथा धारा 151 जा0 दी0 सपठित धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम झालरापाटन के खसरा नम्बर 2063 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2064 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 2065 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2066 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा कुल 4 किता कुल रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा जो 0.8852 हेक्टर खातेदारी में दर्ज है तथा विवादित खसरा नम्बर 2066 होना बताकर तथा उसकी सरहद दक्षिण दिशा में खसरा नं. 2067 मूण्डलिया खेड़ी तालाब से निकलने वाली नहर तक है । अपीलांट तथा शेष रेस्पोडेंट नं. 2 का उसकी आराजी से कोई संबंध नहीं होना बताकर तथा उसकी मेड पर पत्थर की कुरंट डोली बना कर यह लिखकर कि उक्त प्रार्थना पत्र के अप्रार्थीगण अपीलांट व रेस्पोडेंट नं. 2 द्वारा दिनांक 14–15 नवम्बर की रात को डोली तोड़कर खसरा नम्बर 2066 में रास्ते को निकालने के लिये तैयार व तत्पर है जिन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा रोका जावे। अपीलांट अप्रार्थी को सम्मन प्राप्त होने पर अपीलांट ने दिनांक 13.01.2020 को अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और साथ में रेस्पोडेंट नं. 3 राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 07.01.2020 को जवाब प्रस्तुत किया। अपीलांट अप्रार्थी द्वारा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★ भू-प्रबन्ध

सत्यमेव जयते

तहसीलदार झालरापाटन को दिये गये मौका निरीक्षण के आवेदन पत्र पर हल्का पटवारी झालरापाटन ने तहसील कार्यालय के पत्र कमांक 426/राजस्व/19 दिनांक 15.11.2019 की पालना में दिनांक 06.12.2019 को मौका रिपोर्ट तैयार की, जिसकी प्रति अपीलांट अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनकर प्रार्थी रेस्पोडेंट राजेश कुमार का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट अप्रार्थी व रेस्पोडेंट नं. 2 को खसरा नम्बर 2066 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा के हक में किसी भी प्रकार का रास्ता निकालने, भूमि को खुर्द-बुर्द नहीं करने और बेजा मदाखलत व मजाहमत नहीं करने हेतु ताफैसला वाद तक आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत है। अपीलांट अप्रार्थी ग्राम झालरापाटन में खाता संख्या 759 की आराजी खसरा नम्बर 2068 रकबा 0.0126 हेक्टर खसरा नम्बर 2069 रकबा 0.2655 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2781 हेक्टर अर्थात् 1 बीघा 2 बिस्वा का खातेदार कृषक है और अपीलांट अप्रार्थी अपनी उक्त आराजियात पर मुण्डलियाखेड़ी तालाब से निकलने वाली नहर खसरा नम्बर 3578/1990 रकबा 0.6449 हेक्टर गैर मुमकिन नहर के उत्तर दिशा की ओर स्थित खसरा नं. 2067 पर से होकर खरीदी गई दिनांक 24.06.2010 से होकर आज दिनांक तक आता-जाता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेंट प्रार्थी की आराजी इस अपीलांट अप्रार्थी की आराजी के पश्चिम दिशा की ओर स्थित रही है। खसरा नं. 2068 के पश्चिम में खसरा नं. 2067 स्थित है। इसी प्रकार रेस्पोडेंट प्रार्थी खसरा नं. 2066 का जो यह प्रार्थना पत्र लेकर आया था यह खसरा नं. 2066 के पश्चिम दिशा की ओर झालरापाटन और इंदौर मार्ग स्थित है।

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खसरा नं. 2066 के दक्षिण दिशा में खसरा नं. 2067 तथा इसके उपरान्त मुण्डलियाखेड़ी तालाब से निकलने वाली नहर खसरा नं. 3578/1990 स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं देकर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। रेस्पोडेंट प्रार्थी द्वारा उसके वाद व प्रार्थना पत्र की मद नं. 4 जिस प्रकार वर्णित करते हुए यह प्रार्थना पत्र लाया गया है वस्तु एवं वास्तविकता से परे होने के कारण तथा आधारहीन होने के कारण स्वतः ही चलने योग्य नहीं था और प्रार्थी की प्रार्थना भी आधारहीन हो गई थी । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अपीलांट अप्रार्थी ने रेस्पोडेंट प्रार्थी द्वारा अपीलांट को अपनी आराजी पर जाने से रोकने के लिये पत्थर डालने की धमकी देने पर अपीलांट ने तहसीलदार को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर कार्यवाही करते हुए पत्र कमांक 426/राजस्व/2019 दिनांक 15.11.2019 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 06.12.2019 को मौका देखा गया और मौके पर रेस्पोडेंट प्रार्थी को बुलवाया गया और निरीक्षण कर मौके पर ही रिपोर्ट तैयार की गई एवं रिपोर्ट पर नक्शा बनाकर मौके पर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवा कर प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में खसरा नम्बर 2068 व 2069 में पहुंचने के लिये स्टेट हाईवे पर स्थित पेट्रोल पम्प के पास से निकल रही सिंचाई विभाग की नहर के सहारे खसरा नम्बर 2067 की भूमि में से रास्ता निकला हुआ है जो लगभग 25 फिट चौडाई में स्थित है और मौके पर रास्ता चालू स्थिति में है। इस रिपोर्ट को तैयार करते समय रेस्पोडेंट प्रार्थी राजेश गौड ने भी जो रास्ता निकला है वह उसकी भूमि में से नहीं होना माना है। इस प्रकार वास्तविकता से परे होने के कारण रेस्पोडेंट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने राजस्व रेकार्ड एवं अभिलेख तथा उनकी राजस्व वेबसाईट पर विश्वास नहीं कर केवल मात्र रेस्पोडेंट प्रार्थी को लाभ पहुंचाने की नियत से निर्णय पारित किया है, जो कि विधि विरूद्ध

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

होने से खारिज होने योग्य है। अपीलांट अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विवादित स्थान के खीचें गये फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किये थे इन फोटोग्राफ में मौके पर रास्ता है। जिसमें रेस्पोडेंट अप्रार्थी राजेश कुमार की आराजी खसरा नं. 2066 व मूण्डलियाखेड़ी तालाब से निकलने वाली नहर के मध्य खसरा नं. 2067 जो सुशीला बाई पत्नी बनवारीलाल ब्राहमण की होना राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । इस खसरा नम्बर 2067 पर ही अपीलांट का व अन्य रेस्पोडेंट नं. 2 का उनकी आराजी में जाने का रास्ता विद्यमान बना हुआ है और इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग अपीलांट करता चला आ रहा है। इस रास्ते पर प्रार्थी रेस्पोडेंट कब्जा कर अपीलांट का रास्ता बंद करना चाहता है, जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2020 निरस्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.09.2015 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । प्रश्नगत आराजी प्रार्थी राजेश कुमार के पिता राधेश्याम ने दिनांक 22.04.1974 को जरिये रजिस्टर्ड क्रय की थी जिसमें खसरा नम्बर 2066 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भी शामिल थी जिस पर अप्रार्थीगण संजय हाडा वगैरह रास्ता निकालकर प्रार्थी राजेश कुमार की कृषि भूमि को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

जिसका उन्हें कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 2066 में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। यह खसरा नम्बर मुडलियाखेड़ी तालाब से निकलने वाली नहर के मध्य खसरा नम्बर 2067 की भूमि है जबकि नजरी नक्शा सन् 1971–72 जो दिनांक 23.09.2009 को जारी किया गया है उसमें नहर 2067 के पीछे दर्शायी हुई है तथा बयनामा फर्द दस्तावेज दिनांक 22.04.1974 जो राजेश कुमार द्वारा प्रस्तुत की है उसमें भी पूरब में बल्लभ काछी की भूमि, पश्चिम में सड़क, उत्तर में बिरधीलाल काछी, दक्षिण में खरीददार की आराजी व नहर जिससे पानी खेतों में दिया जाता है स्थित है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संजय हाडा वगैरह जबरन राजेश कमार की भूमि खसरा नम्बर 2066 से जबरन रास्ता निकालकर प्रश्नगत आराजी को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई कानूनी एवं वैधानिक अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2020 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/10/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा